जैसा कि नीचे दर्शाया गया है रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या बढ रही है :—

के अंत में	रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या	बैंकों के पास बकाया राशि (रु० करोड़ में)
सितम्बर 1985	117783	1071
दिसंबर, 1986	145776	1306
दिसंबर, 1987	204259	1797
दिसंबर, 1988	240573	2141
दिसंबर, 1989*	186441	2243

(नवीनतम अवधि जिसके आकड़े उपलब्ध हैं)

किंतु सितम्बर, 1989 के अंत में उन एककों, जो बन्द हो गए हैं अथवा जिनका पता लगा पाना सम्भव नहीं है और जिनकी कोई वास्तविक परिसंपत्तियां नहीं हैं, को निकाल दिए जाने के कारण यह संख्या कम हो गई है । 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) रुग्ण एककों के पुनर्जीवन के के लिए किए गए उपायों में लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की पुनस्थापना के संबंध में सभी वाणिज्यक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की परिभाषा, जीव्यता मानदंडों, प्रारंभिक रुग्णता तथा साथ ही संभावित रूप से जीव्य रुग्ण एककों के मामले में पुनस्थापना पैकेजों के कार्यान्वयन हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली राहत व रियायतों का भी विशेष उल्लेख है ।

बैंकों द्वारा पुनर्स्थापना के लिए केवल सम्भावित जीव्य रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को हाथ में लिया जाता है । भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्य रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन हेतु एक पुनर्स्थापना पैकेज बनाने के लिए सचिव , उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियां का गठन किया है ।

जिन एककों की परियोजना लागत 10 लाख रु० से अधिक नहीं है उन्हें अगस्त, 1987 में गठित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से 1,50,000/- रु० तक एक प्रतिशत वार्षिक नाममात्र सेवा शुल्क पर दीर्घकालीन इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध है । यह सहायता सम्भावित रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को भी उपलब्ध है ।

केंद्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमांत धन योजना भी चला रहा है जिसके अधीन प्रत्येक एकक को 50,000 रु० तक की सहायता दी जाती है ।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श करके मौजूदा औद्योगिक स्थिति को देखते हुए और कारगर उपाय किए जाते हैं ।

गांधी जयन्ती पर खादी ग्रामोद्योग द्वारा छूट की घोषणा

1401. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गांधी जयन्ती के उपलक्ष में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपने विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर बिक्री किए जाने वाले सामान पर छूट की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस वर्ष बेची जाने वाली सामग्री की कीमत इन्हीं वस्तुओं की पिछले वर्ष की कीमतों की तुलना में ज्यादा है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खादी की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ; और

(घ) खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) खादी की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में, पिछले वर्ष के प्रचलित मूल्यों की तुलना में लगभग 10 से 25 प्रतिशत की वृद्धि, मजदूरों में वृद्धि तथा कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण है ।

(घ) सीधे के०वी०आई० सी० के अधीन श्रमिक/कर्मचारी केन्द्र सरकार के वेतन मानों एवं नियमों द्वारा शासित किए जाते हैं । तथापि जो व्यक्ति के०वी०आई०सी० द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, वे नियमों के विभिन्न सेटों द्वारा शासित किए जाते हैं । सूत कातने वालों और बुनकरों की आय उनके उत्पादन से संबद्ध होती है । 1-9-1991 से इन दरों में पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 20 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है ।

Setting up of Joint Sector Companies by NRIs and MNCs

1402. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of Joint Sector companies and enterprises set up with the enforcement of Government's New Industrial Policy encouraging NRI's and MNC's investments; and

(b) to what extent Government's revised policy has been a success in attracting NRI and MNC's investments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) and (b) After the announcement of the new Industrial Policy till 31-10-91, over 250 foreign collaboration proposals have been approved. Of these, over 60 proposals envisage direct foreign investment of about Rs. 170 crores (including investment by Non-Resident Indians in diverse industrial sectors like Industrial Machinery, Electrical equipments, Medical instruments, Chemicals, Food Processing Industries etc. this compares well with the total foreign investment of Rs. 128 crores approved during the whole of 1990.

Particulars of Foreign Collaboration approvals viz. name of the Indian company, name of the foreign collaborator, item of manufacture and nature of foreign collaboration, are published on a monthly basis by the Indian Investment Centre as a supplement to its monthly News Letter. Copies of this publication are sent regularly to the Parliament Library.

Issuing of Letters of Intents for setting up of industries

1403. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of letters of intent issued so far for setting up of industries in sectors and areas where no licences are required under the New Industrial Policy; and

(b) what is their total production, in terms of value of goods produced per year and the quantum of different types of products manufactured per annum?